छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – प्रकरण क्रमांक –**SM-CSH-2026-03760**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''**MAPPLE TREE**'', प्रमोटर–आरंभ इन्फ्रावेन्चर्स, द्वारा–विक्की शेरवानी, पता–102, प्रथम तल, मेप्पल ट्री क्रॉसविन्ड के सामने, मोवा, जिला–रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–'' **MAPPLE TREE**'' पता–मोवा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
17/08/2026	– प्रकरण प्रस्तुत। – रजिस्ट्रार, छ.ग. द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 16.07.2026 अनुसार यह पाया गया है कि प्रमोटर आरंभ इन्फ्रावेन्चर्स, द्वारा–श्री विक्की शेरवानी, पता–102, प्रथम तल, मेप्पल ट्री क्रॉस विन्ड के सामने, मोवा, जिला–रायपुर (छ.ग.) के प्रोजेक्ट ''**MAPPLE TREE**'' पता–मोवा भीमराव अम्बेडर वार्ड नंबर–27, जिला–रायपुर (छ.ग.) के संबंध में प्राधिकरण को यह संज्ञान आया है कि आपके द्वारा विकसित परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत भी सामान्य क्षेत्र (**Common Area**) तथा परियोजना से संबंधित आवश्यक हस्तांतरण आबंटितियों की एसोसिएशन/सोसायटी को नहीं किया गया है। भू–संपदा (विनियमन और विकास), अधिनियम 2016 की धारा–17 के अनुसार प्रवर्तक द्वारा सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित आनुपातिक अधिकार सहित पंजीकृत हस्तांतरण विलेख निष्पादित कर सामान्य क्षेत्रों का भौतिक कब्जा एवं संबंधित अभिलेख, मानचित्र एवं दस्तावेज आबंटितियों की एसोसिएशन/सोसायटी को सौंपा जाना आवश्यक है, साथ ही धारा–17(2) के अनुसार अधिभोग संबंधी प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने और उपधारा (1) के निबंधनानुसार आबंटितियों को भौतिक कब्जा सौंपे जाने के पश्चात् संप्रवर्तक का यह दायित्व होगा कि वह स्थानीय विधि के अनुसार, सामान्य क्षेत्रों सहित आवश्यक दस्तावेज और रेखांक, यथास्थिति, आबंटितियों के संगम या सक्षम प्राधिकारी को सौंप दे। परन्तु किसी स्थानीय विधि के न होने पर (समापन) प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् तीस दिनों के भीतर, यथास्थिति, आबंटितियों के संगम या सक्षम प्राधिकारी को सामान्य क्षेत्रों सहित आवश्यक दस्तावेज और रेखांक सौंपेगा का प्रावधान है। रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा द्वारा प्राधिकरण से अनुरोध किया गया कि संबंधित प्रमोटर द्वारा प्रोजेक्ट को दिनाँक 21.05.2024 को पूर्णता प्राप्त हो चुकी है। संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम की धारा–17 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः भू–संपदा	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – प्रकरण क्रमांक –**SM-CSH-2026-03760**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''**MAPPLE TREE**'', प्रमोटर–आरंभ इन्फ्रावेन्चर्स, द्वारा– विक्की शेरवानी, पता–102, प्रथम तल, मेप्पल ट्री क्रॉसविन्ड के सामने, मोवा, जिला–रायपुर (छ.ग)

प्रोजेक्ट–'' **MAPPLE TREE**'' पता–मोवा, जिला–रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	(विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–61 के अंतर्गत अनोवदक के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाये। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 10.08.2026 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता दिनाँक 21.05.2024 को प्राप्त किया गया है। अनावेदक द्वारा रेरा अधिनियम की धारा–17 के अधीन सामान्य क्षेत्र (**Common Area**) तथा परियोजना से संबंधित आवश्यक हस्तांतरण आबंटितियों की एसोसिएशन/सोसायटी को किया गया है। अनावेदक द्वारा पंजीकृत हस्तांतरण विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	